# MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN

# THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

SPORT NEW ZEALAND OF THE GOVERNMENT OF NEW ZEALAND

ON

COOPERATION IN THE FIELD OF SPORTS

Recognizing the benefits of further developing relations in the field of sports, the Ministry of Youth Affairs & Sports of the Government of the Republic of India and Sport New Zealand of the Government of New Zealand, hereinafter referred to as "the Participants", inspired by the desire to promote and strengthen existing friendly relations and cooperation in the field of sports have developed the following Memorandum of Understanding.

The Memorandum of Understanding will provide the framework within which detailed proposals for programmes of cooperation between the two Participants in the field of sports development and excellence are to be jointly considered on the basis of reciprocity and mutual benefit.

The Participants will endeavour to encourage and facilitate as appropriate the advancement of linkages and cooperation between and through the sports agencies of the respective Governments.

July ?

AH

# HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDING:

#### 1. Areas of Cooperation

- 1.1 In order to achieve the objectives of cooperation the Participants will encourage and promote an exchange of programmes, experiences, skills, techniques, information and knowledge, subject to personnel capacity and intellectual property considerations.
- 1.2 Cooperation under this Memorandum of Understanding may include but is not limited to:
  - a) Exchange of experts, government officials, coaches and athletes in areas of sports
  - b) Exchange of sports sciences personnel, sports leaders, sports administrators, professionals, technicians and sports support personnel;
  - Exchange of teaching and curriculum materials on sports, collaboration on curriculum development, joint development and publication of materials;
  - d) Exchange of information on sports development and training systems including information on sports education qualifications and employment requirements;
  - e) Collaboration in the area of sports research & development in training; sports science, and anti-doping programmes;
  - f) Collaboration in the area of physical education and fitness development programmes which may include training, exchange and attachment programmes, and exchange of technology and research in the field;
  - g) Training and competition of athletes and teams;
  - h) Training and technical assistance for coaches;
  - Training, exchange and attachment programmes in the areas of coach education, curriculum development, sports education, sports management and sports infrastructure development and management;

AH

Zurio

- j) Training, exchange of technology for infrastructure and programmes in the development of information and research in the field of sports;
- k) Interaction through meetings, conferences and symposia.
- Any other fields and subjects deemed fit and necessary for mutual benefits within the framework of this Memorandum of Understanding

#### 2. Funding

- 2.1 All cooperative activities and programmes under this Memorandum of Understanding will be subject to the availability of funds and resources.
- 2.2 The visiting Participant will bear responsibility for all expenses related to its participation, including its own international and national travel expenses in both Participants' jurisdictions unless otherwise mutually decided in writing.
- 2.3 The visiting Participant will ensure that any representative travelling on their behalf will acquire sufficient medical and travel insurance ahead of their intended departure.

#### 3. Implementation

- 3.1 The Participants will carry out implementation and development of specific programmes under this Memorandum of Understanding through meetings, exchanges of letters, annexes to this Memorandum of Understanding or other instruments.
- 3.2 Each Participant will be responsible for coordinating the implementation of its programmes.

Inie!

AA

#### 4. Relationship with Foreign Ministries.

4.1 The Participants will keep their respective Departments of Foreign Affairs informed about the implementation of this Memorandum of Understanding.

#### 5. Amendment

5.1 This Memorandum of Understanding, including its Annexes, may be amended by mutual written consent of the Participants. Such amendments will come into effect on the date determined by the Participants.

#### 6. Settlement of Disputes

6.1 Any disputes between the two Participants arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding will be settled amicably by consultation between the Participants.

#### 7. Effect and Termination

- 7.1 This Memorandum of Understanding will come into effect on the date of its signing and will remain in effect for a period of three (3) years.
- 7.2 Upon its expiry, this Memorandum of Understanding may be renewed for a further three (3) year period by mutual written consent.
- 7.3 The Memorandum of Understanding may be terminated at any time by either Participant by giving six (6) months written notice to the other Participant.
- 7.4 Termination of this Memorandum of Understanding will not affect the validity and duration of any ongoing activities and/or programmes under this Memorandum of

mil

A

Understanding which will continue until their completion unless the Participants mutually decide otherwise.

Signed at New Delhi on this 19<sup>th</sup> day of October 2012, in two originals, each in the Hindi and English languages, both texts being equally authentic. In the event of any divergence of interpretation between any of the texts, the English text shall prevail.

mil

For the Government of the Republic of India

Name: P.K. Deb

Designation: Secretary, Department of Sports, Ministry of Youth Affairs & Sports Merderen

For the Government of New Zealand

Name: Ms. Jan Henderson

Designation: High Commissioner of New Zealand in India

203

# खेलों के क्षेत्र में सहयोग पर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारतीय गणतंत्र की सरकार और

> खेल विभाग न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड सरकार के बीच

### समझौता जापन

खेलों के क्षेत्र में अपने विकासशील संबंधों को आगे विकसित करने के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारतीय गणतंत्र की सरकार और खेल विभाग, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड सरकार जिन्हें इससे आगे "पक्षों" के रूप में उल्लिखित किया जाएगा, ने खेलों के क्षेत्र में अपने विद्यमान मैत्री संबंधों और सहयोग को प्रोत्साहित करने और मजबूती प्रदान करने की अभिलाषा से प्रेरित होकर निम्नलिखित समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है।

यह समझौता ज्ञापन एक ऐसी रूपरेखा तैयार करेगा जिसके अंतर्गत खेल विकास और उत्कृष्टता के क्षेत्रों में दोनों पक्षों के बीच सहयोग के कार्यक्रमों के विस्तृत प्रस्तावों पर पारस्परिकता और आपसी लाभ के आधार पर संयुक्त रूप से विचार किया जाएगा।

दोनों पक्ष अपनी-अपनी सरकारों की खेल एजेंसियों के माध्यम से यथोचित संपर्क और सहयोग को प्रोत्साहित करने और आगे बढ़ाने के लिए समुचित प्रयास करेंगे।

दोनों पक्ष निम्नलिखित समझौते पर सहमत हुए हैं :

- 1. सहयोग के क्षेत्र
- 1.1 सहयोग के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दोनों पक्ष कार्मिक क्षमता और बौद्धिक सम्पदा के हितों के अध्यधीन कार्यक्रमों, अनुभवों, कौशलों, तकनीकों, सूचना और ज्ञान के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित और संवर्धित करेंगे ।

Smil!

204

- 1.2 इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सहयोग में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होंगी, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगा :
- (क) खेलों के क्षेत्र में विशेषज्ञों, सरकारी पदाधिकारियों, कोचों और खिलाड़ियों का आदान-प्रदान ;
- (ख) खेल विज्ञान कार्मिकों, खेल नेताओं, खेल प्रशासकों, पेशेवरों, तकनीकविदों और खेल सहायक कार्मिकों का आदान-प्रदान ;
- (ग) खेल शिक्षण एवं पाठ्यक्रम सामग्री का आदान-प्रदान, पाठ्यक्रम-विकास, संयुक्त विकास और सामग्री के प्रकाशन पर सहयोग ;
- (घ) खेल शिक्षा अर्हताओं और रोजगार अपेक्षाओं पर सूचना सिहत खेल विकास और प्रशिक्षण पद्धतियों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान ;
- (ड) प्रशिक्षण में खेल अनुसंधान और विकास, खेल विज्ञान और डोप रोधी कार्यक्रमों के क्षेत्र में सहयोग
- (च) प्रशिक्षण, आदान-प्रदान और सम्बद्ध कार्यक्रमों तथा प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में आदान-प्रदान सहित शारीरिक शिक्षा और स्वस्थता विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में सहयोग ;
- (छ) खिलाड़ियों और टीमों का प्रशिक्षण और प्रतियोगिता ;
- (ज) कोचों के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता ;
- (झ) कोच शिक्षा, पाठ्यक्रम-विकास, खेल शिक्षा, खेल प्रबंधन, खेल अवसंरचना विकास और प्रबंधन के क्षेत्रों में प्रशिक्षण, आदान-प्रदान और सहायता कार्यक्रम ;
- (ञ) खेलों के क्षेत्र में सूचना एवं अनुसंधान के विकास के लिए प्रशिक्षण और अवसंरचना प्रौद्योगिकी और कार्यक्रमों का आदान-प्रदान ;
- (ट) बैठकों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों के माध्यम से सम्पर्क ;
- (ठ) समझौता ज्ञापन की रूपरेखा के अंतर्गत परस्पर लाभ के लिए उपयुक्त और आवश्यक समझे जाने वाले कोई अन्य क्षेत्र एवं विषय ।

Smil

205

#### 2. वित्त पोषण

- 2.1 इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सभी सहयोगात्मक कार्यकलाप और कार्यक्रम निधियों और संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन होंगें ।
- 2.2 भ्रमणकारी पक्ष अपनी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय यात्रा के खर्चों सिहत अपनी भागीदारी के सभी खर्चे वहन करने के लिए उत्तरदायी होंगे बशर्ते कि दोनों पक्ष लिखित रूप में अन्यथा कोई निर्णय न कर लें।
- 2.3 भ्रमणकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी ओर से यात्रा करने वाला कोई प्रतिनिधि अपने नियत प्रस्तान से पूर्व पर्याप्त चिकित्सा व यात्रा बीमा अर्जित कर ले ।

### 3. कार्यान्वयन

- 3.1 इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दोनों पक्ष बैठकों, पत्रों के आदान-प्रदान या अन्य लिखतों के माध्यम से विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और विकास के लिए आवश्यक प्रबंध करेंगें।
- 3.2 प्रत्येक पक्ष अपनी ओर की योजनाओं/कार्यकर्मों के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा।

## 4. विदेशी मंत्रालयों से संबंध

4.1 दोनों पक्ष अपने-अपने विदेशी मामलों के विभाग को इस समझौते ज्ञापन के कार्यान्वयन के बारे में सूचित रखेंगे ।

## 5. <u>संशोधन</u>

5.1 यह समझौता जापन अपने अनुबंधों सिहत दोनों पक्षों की आपसी लिखित सहमित से संशोधित किया जाएगा । ये संशोधन दोनों पक्षों द्वारा निश्चित तारीख से प्रभावी होंगे ।

## 6. मतभेदों का निपटान

6.1 दोनों पक्षों के बीच इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या या कार्यान्वयन से पैदा हुए मतभेद आपसी परामर्श द्वारा शांतिपूर्व ढंग से निपटाए जाएंगे ।

Smil

# 7. प्रभाविता एवं पर्यवसान

7.1 यह समझौता जापन उस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से प्रभावी होगा और तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा ।

- 7.2 इस अविध के समाप्त होने पर यह समझौता ज्ञापन आपसी लिखित सहमित से और आगे तीन (3) वर्षों की अविध के लिए नवीकृत किया जा सकता है।
- 7.3 इस समझाता ज्ञापनका पर्यवसान किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को छ: (6) महीने का नोटिस देकर किया जा सकता है।

7.4 इस समझौता जापन का पर्यवसान समझौता जापन के अधीन प्रचलित कार्यकलापों और/अथवा कार्यक्रमों की वैधता और अविध को प्रभावित नहीं करेगा जो पूरा होने तक जारी रहेंगे बशर्ते कि दोनों पक्ष आपस में मिलकर अन्यथा निर्णय न करें।

नई दिल्ली में 19 अक्तूबर, 2012 को हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के दो-दो पाठों में हस्ताक्षरित । दोनों पाठों की वैधता समान है । तथापि, इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या के संबंध में कोई शंका होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

mil

भारतीय गणराज्य की सरकार की ओर से

नाम : पी.के. देब

पदनाम : सचिव (खेल विभाग), युवा पदनाम : भारत में न्यूजीलैंड के

कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Afferderen न्यूजीलैंड सरकार की ओर से

नाम : सुश्री जेन हेंडरसन

उच्चायुक्त